

PROPOSED LAY OUT PLAN OF "BHUMIJA PRIME BLOCK-A" UNDER KHASRA NO.- 806/209, 808/210, 810/794. AT VILLAGE :- BINDAYKA, TEH.- JAIPUR & JAIPUR.

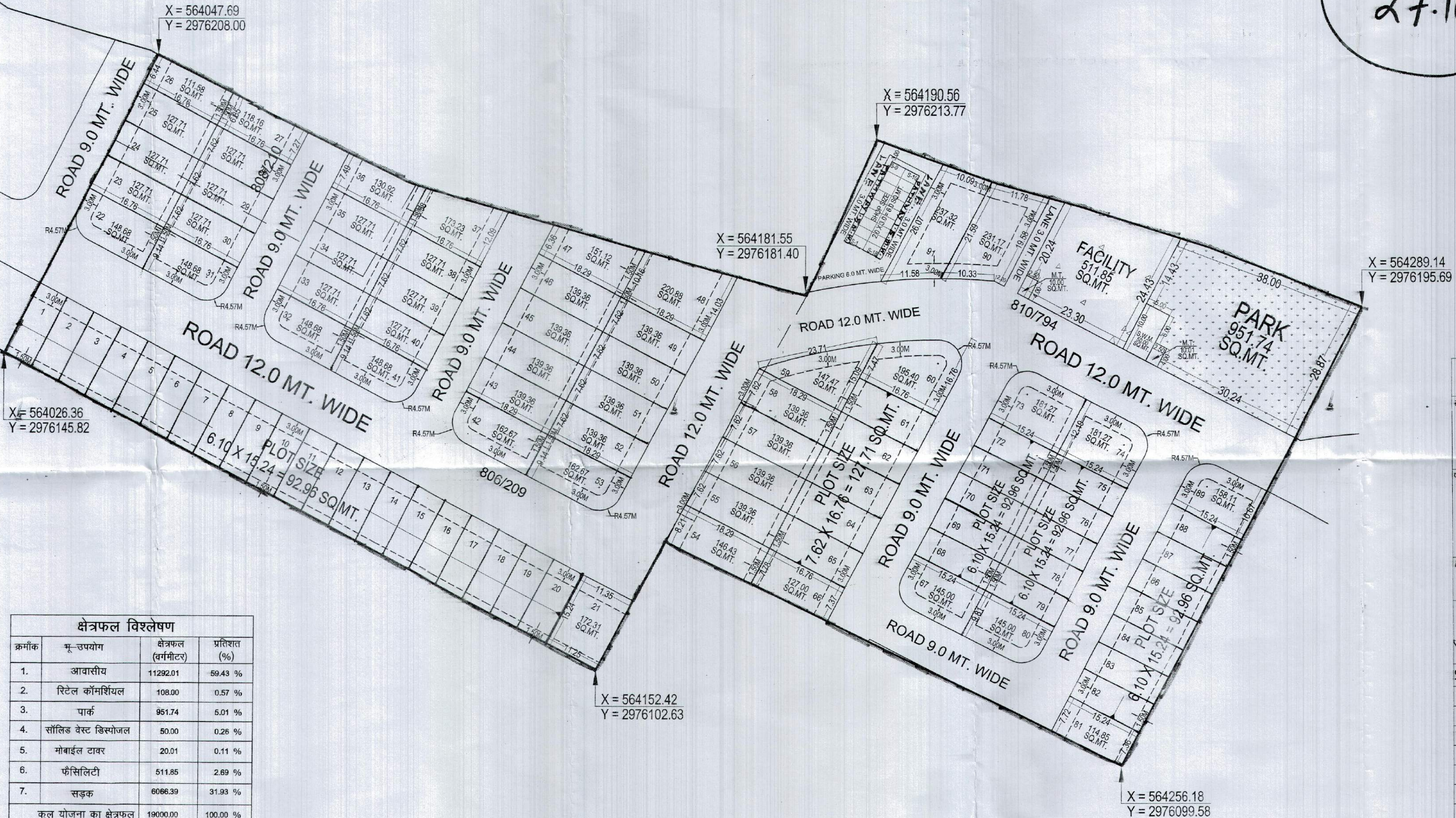
946
B
27.10.21

N
W E
S

ROAD 12.0 MT. WIDE

JDA APPROVED SCHEME
"RIYASAT PRIME"

EXISTING ZONAL PLAN ROAD 18.0 MT. WIDE



क्रमांक	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	प्रतिशत (%)
1.	आवासीय	11292.01	59.43 %
2.	रिटेल कॉमर्शियल	108.00	0.57 %
3.	पार्क	951.74	5.01 %
4.	सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल	50.00	0.26 %
5.	मोबाईल टावर	20.01	0.11 %
6.	फैसिलिटी	511.85	2.69 %
7.	सड़क	6066.39	31.93 %
कुल योजना का क्षेत्रफल		19000.00	100.00 %
आवासीय भूखण्ड - 91			
रिटेल शॉप - 18			

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

पहल मार्ग मानचित्र

दिशा सूचक

अवतर विकास योजना 2022 के अनुसार भू-उपयोग

अवतर विकास भूखण्डों की विभाग स्थिति :-

1 कुल आवासीय भूखण्ड = 91

2 कुल आवासीय भूखण्ड = 91

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1.	RESIDENTIAL	11292.01	59.43 %
2.	RETAIL	108.00	0.57 %
TOTAL = 1 + 2		11400.01	60.00 %
3.	PARK	951.74	5.01 %
4.	S.W.M.	50.00	0.26 %
5.	MOBILE TOWER	20.01	0.11 %
6.	FACILITY	511.85	2.69 %
7.	ROAD	6066.39	31.93 %
TOTAL = 3 TO 7		7599.99	40.00 %
SCHEME AREA		19000.00	100.00 %

(01.90 HECT)

ZONAL PLAN ROAD 30.0 MT. WIDE

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 10.08.2021 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 47, 48, 59, 60, 66, 81, 90 एवं भूखण्ड संख्या 91 कुल 8 भूखण्ड कुल क्षेत्रफल 1425.21 वर्गमीटर है, जो जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 303 वीं बैठक दिनांक 07.09.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग कॉमर्शियल एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत भू-उपयोग यू-1 (आवासीय) है एवं नगर निगम सीमा में स्थित है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पेरामिटर्स एवं सेंटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन बवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor, Police Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपमहानियोजक
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण
CONSULTANT: Cad Max PROJECTS (P) LTD.